कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: जिला कबीरधाम ::-
छत्तीसगढ़

Email- actd.kabeerdham@nic.in

क्रमांक / EMRS / 222 / 2023–24 /   कबीरधाम दिनांक 25/04/2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल वि.खं.बोड़ला जिला कबीरधाम हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ.ग. के अंतर्गत जिला कबीरधाम में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाईट **http://www.eklavya.cg.nic.in** या जिले के वेबसाईट www.kawardha.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है ।

आवेदन संबंधी तिथियाँ :–

क्र.	विवरण	आवेदन की अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	**12-05-2023**

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / EMRS / 223 / 2023–24 /   कबीरधाम दिनांक 25/04/2023

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, छ.ग. जनसंपर्क संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) कबीरधाम की ओर सूचनार्थ। उक्त विज्ञप्ति जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3– सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग कबीरधाम की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: जिला कबीरधाम ::-छत्तीसगढ़

Email- actd.kabeerdham@nic.in

क्रमांक/EMRS/222/2023-24/ कबीरधाम दिनांक 25/04/2023

जिला स्तरीय समिति कबीरधाम के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल वि.खं. बोड़ला जिला कबीरधाम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला कबीरधाम में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा फ्रेश अभ्यर्थियों से **"प्रतिकालखंड"** आधार पर 'अतिथि शिक्षक' (Guest Teacher) लिया जाना है।

1. **रिक्तियों की संख्या** – कुल विषयवार शिक्षकों की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है, जो परिवर्तनीय है :-

क्र.	संस्था का नाम	पद	पद संख्या	निर्धारित मानदेय
1	2	3	5	6
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल	टीजीटी अंग्रेजी	01	रू. 300 प्रतिकालखण्ड
		टीजीटी गणित (अंग्रेजी माध्यम)	01	रू. 350 प्रतिकालखण्ड
		संगीत शिक्षक	01	रू. 150 प्रतिकालखण्ड
		कला/क्राफ्ट शिक्षक	01	रू. 150 प्रतिकालखण्ड
		व्यायाम शिक्षक	01	रू. 150 प्रतिकालखण्ड
		कम्प्यूटर अनुदेशक	01	रू. 150 प्रतिकालखण्ड
		ग्रंथपाल	01	रू. 300 प्रतिकालखण्ड
		स्टाफ नर्स (पुरूष)	01	रू. 500 प्रतिदिन

2. **पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-**

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

1) TGT:-

i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री।

- TGT (अंग्रेजी) – स्नातक में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिये।
- TGT (गणित अंग्रेजी माध्यम) – मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।
- टीजीटी गणित के लिए अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है।

ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

iii. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET Paper-II)या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Paper-II) में पात्रता।

2) संगीत शिक्षक :–

i. हायर सेकेण्डरी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री हो।
ii. संगीत शिक्षक के रूप में अध्यापन का अनुभव।
iii. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो।

3) कला/क्राफ्ट शिक्षक :–

ललित कला(Fine Art) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको से स्नातक हो।

या

हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ललित कला/पेंटिंग/ड्राईंग और पेंटिंग में न्यूनतम 05 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा हो।

4) शारीरिक शिक्षक :–

शारीरिक शिक्षा(Physical Education) में स्नातक (55 प्रतिशत) या Health Physical Education में और Sports में NITE के अनुसार न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।

या

त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत BPEd Degree में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो

5) ग्रंथपाल :–

i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो। कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो।

6) स्टॉफ नर्स :–

i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण हो।
ii. क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउन्सिल में पंजीयन हो।

7) कम्प्यूटर अनुदेशक :–

i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस या बी. सी.ए. उत्तीर्ण हो।
ii. अध्यापन का अनुभव।

वांछनीय योग्यता :–

- हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।

3\. आयु की गणना :–

फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक

(अ) टीजीटी के लिए – 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है

4\. **चयन प्रक्रिया :–**

1. जिला समिति के अधीन विद्यालय के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी एवं साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम मेरिट सूची तैयार किया जायेगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

5\. **चयन समिति :–**

जिला स्तर पर आवेदन पत्रों के जाँच/परीक्षण/मेरिट सूची आदि तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति होगी :–

1.	कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति द्वारा नामांकित 01 प्रतिनिधि	–अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	–सदस्य
3.	जिला स्तरीय समिति से एक शिक्षाविद् (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	– सदस्य
4.	विद्यालय/महाविद्यालय से एक विषय विशेषज्ञ	–सदस्य
5.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	–सदस्य सचिव
6.	प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	– सदस्य

उपरोक्त समिति योग्यता मापदण्ड शिक्षण अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन कर शिक्षकों का मेरिट सूची बनाई जायेगी तथा मेरिट सूची को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एवं विद्यालय की वेब साईट पर अपलोड किया जायेगा।

6.योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदण्ड :–

अ. टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2	स्नातक के अंको का	50%
3	स्नातकोत्तर के अंकों का	30%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (संबंधित विषय में 03 वर्ष हेतु–03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम–05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–तीन** के अनुसार)	**03 वर्ष–03 अंक** **04 वर्ष–04 अंक** **05 वर्ष या उसे अधिक वर्ष–05 अंक**
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक
8	साक्षात्कार	25 अंक

7. अनुभव :– अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन)/शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। **(परिशिष्ट–तीन)**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

8. नियुक्ति के संबंध में :–

1. मेरिट लिस्ट के अतिथि शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/ छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर लिए जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्ति के मामले में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।

9.मानदेय :–

- पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान/कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।
- **पारिश्रमिक :–**

  (अ) टी.जी.टी. हेतु –

  टीजीटी–Rs.300/–प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रू.42000/– के मान से।

  अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखण्ड प्रति दिन और अधिकतम 6 कालखण्ड आवंटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन नियमानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है।

10. सामान्य निर्देश :–

(अ)अतिथि शिक्षकों हेतु :–

i. किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जाएगा और इसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।

ii. अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती हैं।

iii. अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।

iv. अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत / साझा करने के आधार पर) निः शुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

v. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकलव्य विद्यालयो में मौजूद रहेगा। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।

vi. राज्य स्तरीय समितियां शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

11. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश :–

1. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
2. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
3. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति http://www.eklavya.cg.nic.in/ एवं संबंधित जिले के वेबसाईट **www.kawardha.gov.in** पर अपलोड किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
4. किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
5. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

12. अभ्यर्थियो द्वारा आवेदन करने की प्रकिया :–

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाईन स्वीकार किया जावेगा, जो http://www.eklavya.cg.nic.in/ पर तथा जिला के वेब साईट **www.kawardha.gov.in** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक–पृथक ऑफलाईन आवेदन कर सकता है ।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व–प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व–प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में **सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम के नाम से** रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। **भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24 के साथ पदनाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।**

13. आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण तिथियॉ :–

क.	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	12-05-2023

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला- कबीरधाम छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – एक

//फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची//

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
6. **CTET/TET** उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–तीन के अनुसार)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालिन अतिथि शिक्षक के फ्रेश अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र–वर्ष 2023–24

1. आवेदित जिले का नाम : ....
2. आवेदित पदनाम : ....
3. नाम : ....
4. पिता/पति का नाम : ....
5. लिंग (महिला/पुरूष/ट्रांसजेंडर) : ....
6. जाति/वर्ग : ....
   (अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./निशक्त/आर्थिक पिछड़ा/सामान्य)
7. जन्मतिथि : ....
8. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) : ....
9. पत्राचार का पूर्ण पता : ....
   ....
   ....
10. मोबाईल नं. : ....
11. ई–मेल आईडी : ....
12. आधार नंबर है :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता

क0	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में /ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7	other							

14. अनुभव :

(अ) क्या आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव है हां/नहीं

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	अविध		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

घोषणा पत्र

मैं.................................... घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ....

परिशिष्ट – "तीन"

कार्यालय का नाम
फोन/फैक्स नंबर

क्र.........................

दिनांक ....

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... आत्मज श्री ....जिला .... राज्य .... ने ....विद्यालय में .... पद पर .... विषय का दिनांक .... से .... कुल ....वर्ष ... .माह अध्यापन कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा।

प्राचार्य का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

नाम ....

पद ....

सील ....